

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 87/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

ब्रिजी पुत्र श्री भंवर जाति जाट निवासी गांव खेडली गडासिया तहसील बयाना
जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.09.19 तहसीलदार बयाना
मि0सं0 64/2019 सरकार बनाम ब्रिजी (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री सुगडसिंह वकील अपीलान्ट।
2. परोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 17.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 24.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहत अदालत का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिले मन्सूखी है। तहत अदालत ने आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और ना ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तहत अदालत द्वारा प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। तहत अदालत ने आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलान्ट ने अपना जबाब प्रस्तुत कर यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलान्ट ने अपना कब्जा पूर्णतया हटा लिया है और वह भविष्य में कोई कब्जा

विवादित आराजी पर नहीं करेगा फिर भी लायक तहत अदालत ने नरमी का रुख अपनाने के बजाय जैर अपील आदेश पारित किया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट के पास नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट में आने पर अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करने के बाद तहत अदालत ने अपीलान्ट को कोई अवसर स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नहीं दिया और न ही बहस हेतु कोई अवसर दिया और ना ही कोई आगामी तारीख पेशी बतलाई इसलिये अपने घर वापिस आ गये और पीछे से तहत अदालत ने आदेश पारित कर दिया जिसका कोई इल्म अपीलान्ट को नहीं था मगर दिनांक 10.11.2019 को जब पुलिस थाने से एक व्यक्ति अपीलान्ट के गांव आया और उसने तहत अदालत से जारी गिरफ्तारी वारन्ट की बाबत बताया तो अपीलान्ट दिनांक 11.11.2019 को तहत अदालत पहुंचे और आदेश की नकल प्राप्त की। इल्म होने से अपील अन्दर म्याद पेश की है। धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर किसी भी रकवें पर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट उसे छोडने एव तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को भुगतने को तैयार है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया है। तहत अदालत ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन मे आर.आर.डी. 2009 पेज 358, आर.आर.डी. 2009 पेज

541, आर.आर.डी. 2009 पेज 548 उद्धरित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर सजा माफ किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्त के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्त राजकीय चारागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 1758 में कुल 0.70 हैक्टेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अपीलान्त द्वारा फसल चरी बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना तहत पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहसीलदार बयाना के निर्णय दिनांक 24.09.2019 में

पश्चातवर्ती अतिक्रमी का उल्लेख होने एवं स्वयं अपीलान्त के द्वारा तहत अदालत में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 24-09-2019 तथा इस अदालत में तहत अदालत में प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रमाणित छायाप्रति से भी स्पष्ट होता है। शपथ-पत्र के अनुसार अपीलान्त द्वारा चारा हटाया जाना स्वीकार किया है। अपीलान्त को भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके से अतिक्रमण हटाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास अपीलान्त के बादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ देने तथा जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर माफ की जाती है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्त मय शपथ पत्र तहसीलदार बयाना को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त विवादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर कि अपीलान्त ने बादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया है तो ही सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ने एवं जुर्माना राशि जमा कराने में असफल रहता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय (बेदखली+जुर्माना) यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर